>

Title: Need to provide mandatory 19 percent reservation to Other Backward Classes of Gadchiroli district, Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): सरकार ने देश के पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इसके तहत महाराष्ट्र राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 19 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है । लेकिन महाराष्ट्र राज्य के ही आदिवासी एवं नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित गड़चिरोली जिले में ओबीसी के लिए केवल 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जो उचित नहीं है ।

महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले गड़चिरोली में ओबीसी के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले ओबीसी के लोगों के कल्याण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यह तभी संभव है जब उनको मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित न किया जाए ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य के लिए ओबीसी हेतु निर्धारित 19 प्रतिशत आरक्षण को नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले में भी उसी के अनुरूप लागू किया जाए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोग आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सके ।